19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

- बिजली गिरने के साथ तूफानी बारिश का अलर्ट
- खराब मौसम को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क

नई दिल्ली, 16 मई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब सहित 19 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के कई हिस्सों में 16 मई को मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है.

कई इलाकों में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके साथ ही, उत्तर भारतीय राज्यों में एक बार फिर भयंकर तूफान आ सकते हैं, जबकि कई इलाकों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है.

पंजाब के छह जिलों में आंधी-तूफान और बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है. चंडीगढ़ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, अमृतसर, होशियारपुर और मुक्तसर में बिजली कड़कने के साथ भयंकर आंधी-तूफान की संभावना है. इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने 16 मई से 20 मई तक पंजाब के कई हिस्सों में लू की स्थिति के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

> मौसम विभाग ने देश के 19 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और अंडमान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने की चेतावनी दी है. दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस दौरान आसमान आम तौर पर साफ रहा. मौसम विभाग ने शनिवार को बताया कि मानसून आज दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व हिस्सों, अंडमान सागर के अधिकांश क्षेत्रों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह और विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया है.

ब्रिटेन में भारतीय मूल इमाम को उम्रकैद

नई दिल्ली, 16 मई. पूर्वी लंदन में एक भारतीय मूल के इमाम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिसने धार्मिक नेता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महिला श्रद्धालुओं का यौन शोषण किया था. अब्दुल हलीम खान को गुरुवार को स्नेयर्सब्रुक क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई गई. उसे 2004 से 2015 के बीच सात महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किए गए 21 यौन अपराधों का दोषी पाया गया था. जस्टिस लेस्ली कथबर्ट ने आदेश दिया कि 54 वर्षीय खान को पैरोल के लिए पहले कम से कम 20 साल की सजा काटनी होगी. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि खान ने आध्यात्मिक शक्तियां होने का झूठा दावा किया था और इन दावों का इस्तेमाल 12 साल तक की कम उम्र की लड़कियों को बहलाने-फुसलाने और यौन शोषण करने के लिए करता था.

जम्मू में 28 दिनों में 733 तस्कर गिरफ्तार

- 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड
- 180 आधार कार्ड डिएक्टिवेट किए गए

श्रीनगर, 16 मई. जम्मू और कश्मीर में पिछले 28 दिनों में ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े 733 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपी ड्रग पेडलर्स के 47 घरों पर बुलडोजर चलाया गया. अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए 373 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए और नियमों का उल्लंघन करने पर 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं.

दरअसल, एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी खत्म करने के लिए 100 दिनों का अभियान शुरू किया था. तस्करों से जुड़े 180 आधार कार्ड डिएक्टिवेट (निष्क्रिय) कर दिए गए. इसके साथ ही सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे नशीली दवाओं से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी सामने आकर दें. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ में करीब 93 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है. यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत जम्मू के बाग-ए-बाहु थाना में दर्ज एक मामले से जुड़ी है. पुलिस के मुताबिक यह मामला 14 जनवरी 2026 का है. उस दिन जम्मू के नरवाल स्थित राजीव नगर निवासी अरुण सिंह को नाका चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उसके कब्जे से 5.61 ग्राम हेरोइन बरामद हई थी.

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा खण्डवा रोड़, इंदौर द्वारा प्रस्तावित ऋणी महेश, कमल दोनों पिता श्री नाथुसिंह दोनो निवासी इंदौर तह. व जिला इंदौर (म.प्र.) की मालकी एवं स्वत्व के प्लॉट नं. 16 रकबा 1000 वर्गफीट एवं प्लॉट नं. 17 रकबा 1000 वर्गफीट जो की गणेश विहार कालोनी, ग्राम बिलावली तह. व जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा प्लॉट नं. 16 पूर्व को- प्लॉट नं. 19, पश्चिम को रोड़, उत्तर को प्लॉट नं. 17. दक्षिण को प्लॉट नं. 15, एवं चर्तुसीमा प्लॉट नं. 17 पूर्व को एम.पी. ओ.एस.डी. की भूमि, पश्चिम को रोड़, उत्तर को रोड़, दक्षिण को प्लॉट नं. 16, को बंधक रखकर उस पर ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में उक्त भूमि सर्वे नं. 122/1, 122/2 एवं 122/4 श्री नाथुसिंह की पेत्रक संपत्ति थी एवं सन् 2001-02 में पारिवारिक बटवारें के द्वारा उक्त भूमि सर्वे नं. 122/1, 122/2 एवं 122/4 कुल रकबा 0.736 हेक्टेयर महेश, कमल दोनों पिता श्री नाथुसिंह दोनो निवासी इंदौर तह. व जिला इंदौर (म.प्र.) के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुई। उपरांत महेश, कमल दोनों पिता श्री नाथुसिंह के द्वारा उक्त भूमि पर समस्त वैधानिक कार्यवाहियों के उपरांत गणेश विहार कालोनी का निर्माण किया गया एवं उक्त प्लॉट नं. 16 रकबा 1000 वर्गफीट एवं प्लॉट नं. 17 रकबा 1000 वर्गफीट जो की गणेश विहार कालोनी, ग्राम बिलावली तह. व जिला इंदौर (म.प्र.) में स्थित है उक्त प्लॉट महेश, कमल दोनों पिता श्री नाथुसिंह की मालकी एवं स्वत्व की संपत्ति है। जिस किसी व्यक्ति, संस्था या वित्तीय संस्था या बैंक इत्यादि को उक्त सम्पत्ति की मालकी एवं स्वत्व के संदर्भ में कोई आपत्ती हो तो वह उक्त जाहिर सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में संलिखित प्रमाण के साथ संपर्क करें अन्यथा बाद मियाद मेरे पक्षकार द्वारा भावी ऋणी की उक्त संपत्ति को बंधक रखकर उस पर ऋण प्रदान कर दिया जावेगा। दिनांकः- 14/05/2026

दिपक कुमार मुदगल एडवोकेट
2275-डी सेक्टर सुदामा नगर, इंदौर,
मो. 9425936079, 9399176792

राजगीर, बिहार में सज-धज कर तैयार हो गया है राजगीर का कुंड इस क्षेत्र में आज से शुरू हो गया है ऐतिहासिक मलमास मेला.

जल संरक्षण के लिए जल संवाद जरूरी-गडकरी

नई दिल्ली, 16 मई. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण एवं भूजल संवर्द्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि इस दिशा में जनभागीदारी और जल संवाद बेहद जरुरी है तथा इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए. श्री गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार और सोमवार को आयोजित होने वाले जल संचयन एवं संरक्षण संबंधी जल क्रांति परिषद के कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें विशेषज्ञ जल संरक्षण और भूजल संवर्द्धन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने लोगों, विशेषकर किसानों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें जल संचयन और जल संरक्षण के प्रभावी उपायों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे.

आज का इतिहास

- 1769- ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए
- 1857- बहादुर शाह जफर द्वितीय को स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित किया गया
- 1949- भारत ने राष्ट्रमंडल देशों के समूह में बने रहने का फैसला किया
- 1951- प्रसिद्ध भारतीय ग़ज़ल और पार्श्वगायक पंकज उदास का जन्म
- 1953- हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री प्रीति गांगुली का जन्म
- 1972- पद्म श्री से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के का निधन

FOR SALE

इंदोर के रेसकोर्स रोड पे एमएनसी कंपनी के स्वामित्व कि ऑफिस 2 कार पार्किंग के साथ बेचने के लिये उपलब्ध है | इच्छुक खरीददार कृपया संपर्क करे
8329436086

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

सरकार पेपरलीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान को हटाए

नई दिल्ली, 16 मई. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि उन्हें नहीं हटाया जाता है तो श्री मोदी को स्वयं इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए.

श्री गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन श्री मोदी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी हटाइए या जवाबदेही खुद लीजिए.उन्होंने आरोप लगाया कि इस पेपरलीक की घटना से देश के 22 लाख विद्यार्थियों की दो वर्ष की मेहनत बर्बाद हो गई और पूरा देश जानता है कि नीट परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर प्रश्नपत्र बांटा जा रहा था। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने इस मामले से खुद को अलग बताते हुए संसदीय समिति की सिफारिशों को भी अनदेखा किया था.कांग्रेस नेता ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को वैचारिक और आर्थिक हितों की मिलीभगत से नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में योग्यता की अनदेखी हो रही है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है.

श्री गांधी ने दावा किया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप कर शिक्षा मंत्री को पद से हटाना चाहिए.इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी मामले में जवाबदेही तय करने तथा शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया।है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	40521497	संपत्ति के बदले ऋण	23.04.2026	1,63,634.39/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. सुनील परमार 2. शोभा बाई परमार 3. सुनीता बाई

संपत्ति का पताः सर्वे संख्या 378, पीएच नं. 11, गांवः पटाडिया नजदिक, तहसीलः सोनकच्छ, जिलाः देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित 780 वर्ग फुट (72.49 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैः पूर्व में लखन लाल का घर, पश्चिम में भादर सिंह का घर, उत्तर में सड़क, दक्षिण में सड़क।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	57660330	होम लोन	20.04.2026	2,92,309.19/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. मुकेश खारोल 2. मदन लाल खारोल 3. पेपा बाई खारोल

संपत्ति का पताः भूमि सर्वेक्षण संख्या 430, पीएच नं. 34, ग्रामः गुडभेली, वार्ड संख्या 18, तहसीलः ताल, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457118 में स्थित, 1127 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में नान जी, पश्चिम में कमला बाई, उत्तर में रोड और दक्षिण में जितेंद्र।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	79556722	होम लोन	23.04.2026	5,49,333.51/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नामः 1. सुनील प्रजापत 2. पवित्र प्रजापती

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के सरसोदा गांव में वार्ड संख्या 21 के सर्वे नंबर 419 में स्थित मकान संख्या 06 का वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 1080 वर्ग फुट यानी 100.37 वर्ग मीटर (लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 36 फुट) है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में शीतलमाता मंदिर और मालिक की जमीन, पश्चिम में श्री धारा सिंह का घर, उत्तर में रास्ता और दक्षिण में श्री बसंतलाल का घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	86185739	संपत्ति के बदले ऋण	06.05.2026	4,02,344.96/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. दिलीप रमेशचंद्र 2. रेखाबाई रमेशचंद्र

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश-456770 के उज्जैन जिले के ताराना तहसील के पटवारी हल्का नंबर 110, सर्वेक्षण संख्या 107 में स्थित मकान संख्या 89 का वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग फुट (66.91 वर्ग मीटर) है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में श्री दिनेश का भूखंड, पश्चिम में कमल का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	156947103	संपत्ति के बदले ऋण	23.04.2026	8,48,301.60/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. सुशील जानी 2. पिंकी सुशील 3. रमेशचंद्र भवानीशंकर

संपत्ति का पताः सर्वेक्षण संख्या 361/1, पीएचएन 70, ग्रामः गरवा खेड़ी, ग्राम पंचायतः तारखेड़ी, तहसीलः पेटलावाड़, जिलाः झाबुआ, मध्य प्रदेश-457775 में स्थित, कुल विनियोजित भूमि क्षेत्र 0.100 हेक्टेयर (10764 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र 72 X 16 = 1152 वर्ग फुट) का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः भूमि सर्वेक्षण संख्या 336 (आबादी भूमि), पश्चिमः भूमि सर्वेक्षण संख्या 351 (सड़क), उत्तरः भूमि सर्वेक्षण संख्या... 362 (भूरालाल पुत्र डूंगा की कृषि भूमि), दक्षिणः भूमि सर्वेक्षण संख्या 361/2 (जगदीशचंद्र पुत्र भवानीशंकर की कृषि भूमि)

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
6	76742968	संपत्ति के बदले ऋण	10.04.2026	4,60,333.19/-

ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नामः 1. मोहन सिंह 2. राम कुंवर

संपत्ति का पताः सर्वे संख्या 89, पीएच नं. 27, पुराना पीएच नं. 24, ग्राम भड़का, वार्ड संख्या 13, ग्राम पंचायतः शिवगढ़, तहसील और जिलाः अगर, मध्य प्रदेश-465441 में स्थित निर्मित मकान संख्या 30 का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 1548 वर्ग फुट है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः गोकुल सिंह का बाड़ा, पश्चिमः नारायण सिंह का मकान, उत्तरः शिव सिंह की भूमि, दक्षिणः सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 17.05.2026 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
स्थानः मध्यप्रदेश के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग

निविदा क्रमांकः स्टोर्स/7/2026-27 **निविदा विज्ञप्ति (चतुर्थ आमंत्रण)** दिनांकः 15.05.2026

नगर पालिक निगम, इन्दौर को लगने वाली निम्न सामग्री क्रय करने हेतु ऑनलाइन निविदा आयटम रेट पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार हैः-

अ. क्र.	ऑनलाइन टेंडर क्रमांक	सामग्री का विवरण	1) निविदा प्रपत्र की कीमत (₹) 2) अर्नेस्ट मनी की रकम (₹)	ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	ऑनलाइन तकनीकी निविदा ओपन करने की दिनांक एवं समय
1.	2026_UAD_507879_1	विभिन्न प्रकार के फर्नीचर क्रय हेतु वार्षिक दर निर्धारण बाबद।	1) ₹2,000/- 2) ₹20,000/-	1/6/2026 को शाम 6:00 बजे तक	3/6/2026 को सुबह 11:30 बजे के पश्चात

नोटः 1. निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर देखी एवं क्रय की जा सकती है।
2. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर सीधे ऑनलाइन प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

उपायुक्त
सेन्ट्रल स्टोर्स विभाग, नगर पालिक निगम, इन्दौर

बिक्री/ई-नीलामी नोटिस

आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में

CIN: U45201MP1999PTC013634
पंजीकृत पताः TF-03, ब्लॉक नंबर-03, प्लॉट नंबर-7 महेंद्र बिजनेस स्क्वायर, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462039
कंपनी परिसमापन के तहत माननीय **NCLT** आदेश दिनांक 22.05.2024 के तहत IA-12/2024 Liq और C.P. (IB)/353/PB/2022.

कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों की बिक्री को 'संपत्तियों के सेट के रूप में सामूहिक रूप से' बेचा जा रहा है, जैसा कि विनियमन 32 के उपखंड (c), विनियमन 33 की उप-विनियमन (1) और भारतीय दिवाला और दिवालापन बोर्ड (लिक्विडेशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची । में निर्दिष्ट है, जिसके तहत **लिक्विडेटर श्री कुलदीप टांक को माननीय NCLT Principal Bench द्वारा दिनांक 04.12.2024 के इसके आदेश सं. IA-5688/2024, C.P. (IB)-353(PB)/2022** के तहत नियुक्त किया गया। यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से की गई।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
		ब्लॉक-A से D: संयुक्त रूप से आस्तियों के किसी समूह का (विनियमन 32(c) के तहत)
1.	बिक्री नोटिस और ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि	17/05/2026
2.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा 29ए पात्रता दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन बोली आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	17/05/2026 सुबह 11:00 बजे से 05/06/2026 शाम 05:00 बजे तक
3.	नीलामी के अंतर्गत परिसंपत्तियों के निरीक्षण या यथोचित परिश्रम की तिथि और समय (पूर्व नियुक्ति के साथ)	17/05/2026 सुबह 11:00 बजे से 04/06/2026 शाम 05:00 बजे तक
4.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा बयाना राशि जमा करने की तिथि और समय	18/05/2026 सुबह 11:00 बजे से 05/06/2026 शाम 05:00 बजे तक
5.	नीलामी की तिथि और समय	सोमवार, 08/06/2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)
6.	उच्चतम बोलीदाता की घोषणा	11/06/2026
7.	सफल बोलीदाता की घोषणा	संभावित रूप से 15/06/2026
8.	परिसमापक का पता और ईमेल	202, ब्लॉक-ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452001 ibduniversal21@gmail.com

ब्लॉक-A से D:

आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियमन 2016 के विनियमन 32(c) के तहत सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का सेट (विनियमन 32(c) के तहत) जिसमें भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जहां है जैसा है, जो भी है आधार पर और बिना किसी सहारे के आधार पर आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, परिसमापन में (''कॉर्पोरेट देनदार'') परिसंपत्तियों की बिक्री

ब्लॉक	आस्तियों का विवरण	नीलामी का तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु.	ईएमडी रु.	बोली वृद्धि राशि रु.
A	आईबीडी रॉयल सिटी, ग्राम – रायपुर, तहसील और जिला– होशंगाबाद (नर्मदापुरम)– 461001 पर प्लॉटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)	सोमवार 08/06/2026 सुबह 11:00 तक से दोप. 02:00 तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)	**2,54,71,637**	25,47,164	5,00,000
B	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में 25 (1862.79 वर्ग मीटर) आंशिक रूप से पूर्ण/लगभग पूर्ण फ्लैटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		**2,53,69,329**	25,36,933	5,00,000
C	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में ब्लॉक B के अलावा कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		**6,24,90,382**	62,49,038	10,00,000
D	कॉर्पोरेट देनदार की सभी सुरक्षा और वित्तीय संपत्तियाँ। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		**1,22,88,356**	12,28,836	5,00,000

आरक्षित मूल्य में कर, जीएसटी, टीडीएस, शुल्क, प्रभार, शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम आदि शामिल नहीं हैं वारंटी और क्षतिपूर्ति के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

ई-नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। सहायता के लिए संपर्क करें: support.baanknet@psballiance.com / मोबाइल नंबर +91 8291220220
2. परिसमापक का संपर्क विवरणः श्री कुलदीप टॉंक ईमेलः ibduniversal21@gmail.com संपर्क नंबर 9826677735
3. संपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और वचनबद्धता फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त संपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/ पर उपलब्ध हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, अन्य, यदि कोई हो, स्थानीय प्रशासन के बकाए आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। और उपरोक्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर यदि कोई हस्तांतरण शुल्क होगा तो उसे वहन करेंगे और अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण करेंगे और खुद को संतुष्ट करेंगे। ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों का विवरण संभावित बोलीदाताओं द्वारा साइट पर परिसमापक और उसकी टीम से संपर्क करके निरीक्षण किया जा सकता है।
5. ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, और ब्लॉक D, की नीलामी सामूहिक रूप से एक ब्लॉक में सभी संपत्तियों के लिए होगी।
6. बिक्री नोटिस को ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के साथ पढ़ा जाना चाहिए और साथ ही उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत होना चाहिए जो https://ibbi.baanknet.com पर उपलब्ध है।
7. संभावित बोलीदाता केवल बैंकनेट नीलामी मंच के माध्यम से बयाना राशि जमा (EMD) जमा करेगा।
8. संभावित बोलीदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से दिवालियापन और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
9. **यदि उच्चतम बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, जिसमें उपरोक्त क्रमांक 8 के तहत उल्लिखित बोलीदाता भी शामिल है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।**
10. यदि परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से उच्चतम बोलीदाता को अयोग्य पाते हुए अस्वीकार कर देता है, तो परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से विनियमों के खंड (12ए) से खंड (12ई) के अंतर्गत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।
11. सफल बोलीदाता को लागू स्टाम्प शुल्क/लीज हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि और सभी स्थानीय कर, शुल्क, दरें, मूल्यांकन शुल्क, फीस, रखरखाव शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। नीलामी में रखी गई संपत्ति के संबंध में।
12. ई-नीलामी "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर तथा "बिना किसी सहायता के" https://ibbi.baanknet.com. पर अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
13. बिक्री ई-नीलामी के दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन सेवाप्रदाता की वेबसाईट पर किया जायेगा।

कुलदीप टॉंक
मैसर्स आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड
के मामले में परिसमापक
(परिसमापन प्रक्रिया के तहत)
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02776/2022-2023/14255
AFA 30.06.2027 तक वैध
ई-मेल आईडीः ibduniversal21@gmail.com
पताः 202, ब्लॉक-ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर-452001
दिनांकः 17.05.2026, स्थानः इंदौर

टाटा कैपिटल लिमिटेड

TATA
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 302, तीसरी मंजिल, खण्डेलवाल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नं. 4, 9/1 एमजी रोड, इंदौर - 452001.

संशोधन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक **16.05.2026** को इसी समाचार पत्र में **अचल संपत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना** शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन में ऋणी **श्री शरद त्रेहन (ऋण खाता क्रं. TCFLA0284000011070724)** का **आरक्षित मूल्य शब्दो में** रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख हजार मात्र के स्थान पर **रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र** पढ़ा जावे।
शेष विवरण यथावत रहेगा।

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक, कालानी नगर शाखा : शॉप नं.2, ब्लॉक-ए, सीता श्री रेसीडेंसी, एयरपोर्ट रोड़, कालानी नगर, इंदौर (म.प्र.)

परिशिष्ठ - 4 {नियम-8(1)} आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 8 & 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **ऋणी श्री विजय खुरैया पिता चर्तुभुज खुरैया (ऋणी एवं बंधककर्ता), श्री रघुनाथ खुरैया पिता चर्तुभुज खुरैया (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)** को हमारी **कालानी नगर**, **शाखा** से मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र **दिनांक 09/02/2026** उक्त सूचना पत्र की दिनांक से **60 दिवस** के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि **रू. 19,08,241/- (रूपये उन्नीस लाख आठ हजार दो सौ इकतालीस मात्र)** उस पर ब्याज और आगे ब्याज के साथ लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को **आधिपत्य दिनांक 14 मई 2026** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **रु. 19,08,241/- (रूपये उन्नीस लाख आठ हजार दो सौ इकतालीस मात्र)** आज तक एवं उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

''हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों को वापस छुड़ाने के आपके अधिकारों से संबंधित हैं''।

अचल सम्पत्ति का विवरण

खसरा नं. 104, मकान नं. 532 (उत्तरी भाग), (पुराना नं. 08), पुरानी बस्ती भागीरथपुरा, इन्दौर (म.प्र.), साईज 750 वर्गफीट **संपत्ति स्वामी का नाम :** विजय खुरैया पिता चर्तुभुज खुरैया, श्री रघुनाथ खुरैया पिता चर्तुभुज खुरैया **चर्तुःसीमाः** पूर्वः रोड, पश्चिमः गली, उत्तरः मकान नं. 533, दक्षिणः मकान नं. 532 का शेष भाग

दिनांक : 17.05.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इन्दौर **इंडियन बैंक**

AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

AMBIT Finvest Pragati ke partner
कॉर्पोरेट कार्या.: कनकिया वॉल स्ट्रीट, पांचवीं मंजिल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत नियम 3 के साथ पढ़े जाने पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करता/करती हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी को यह विश्वास है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई हैः

ऋण लेने वाले का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1. संदीप ठाकुर 2. श्रीमती देविका ठाकुर 3. श्री लखन सिंह सेंधव 4. श्री योगेन्द्र सिंह, लैन नं. IND000000064514	11.05.2026 और रू. 1,70,36,529.71/- (एक करोड़ सत्तर लाख छत्तीस हजार पांच सौ उनतीस और इकहत्तर पैसे मात्र) 08-05-2026 तक

अचल संपत्ति का विवरणः गिरवी रखी गई संपत्तिः सोनकच्छ ग्राम (एसएच रूट) में स्थित मकान सहित संपत्ति का वह भाग, जिसका सर्वेक्षण क्रमांक 618/1 पैकी, 618/2 पैकी, 618/3 पैकी, 621 पैकी, 622 पैकी, 624 पैकी है। कुल क्षेत्रफल 13,610 वर्ग मीटर है। पताः भोपाल-इंदौर रोड, ग्राम सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455118। गिरवी रखी गई संपत्ति की सीमाएँः पूर्वः दिलीपसिंह जी की भूमि, पश्चिमः स्वयं की भूमि, उत्तरः दिलीपसिंह जी की भूमि, दक्षिणः एसएच रूट।

ऋण लेने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस का पालन करें और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान प्राप्ति की तिथि तक के खर्चों सहित करें। ऋण लेने वाले व्यक्ति ध्यान दें कि AFPL एक सुरक्षित ऋणदाता है और ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा लिया गया ऋण अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है, जो ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि ऋण लेने वाले व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपने दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो AFPL अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण करना या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। AFPL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। गिरवी रखी गई संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य AMPL को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो AFPL को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत AFPL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है, और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को AFPL की पूर्व लिखित सहमति के बिना गिरवी रखी गई संपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित कोई भी लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (सामान्य व्यवसाय के अलावा) किसी भी गिरवी रखी गई संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 17.05.2026 हस्ताक्षर/- अंकेत मोरे,
स्थानः मध्य प्रदेश अधिकृत अधिकारी, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड